[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 15/ 2021 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 18 मई, 2021

सा.का.नि..........(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2021 है ।
2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 23 के उपनियम (1) में, "रजिस्टीकरण के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस की अवधि के भीतर" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) नियम 90 में,

(क) उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि कमियों को सुधारने के बाद आवेदक द्वारा दायर किए गए नए प्रतिदाय के दावे के संबंध में, **प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी-01** में प्रतिदाय के दावे को दायर करने की तारीख से समुचित अधिकारी द्वारा **प्ररूप जीएसटी आरएफ़डी-03 में** कमियों को संसूचित करने की तारीख तक की, समय अवधि को, धारा 54 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट दो साल की समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

(ख) उपनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(5) आवेदक, किसी **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01** में दायर किए गए प्रतिदाय के आवेदन के संबंध में, **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-04** में अनंतिम प्रतिदाय मंजूरी आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में अंतिम स्वीकृत प्रतिदाय आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-05** संदाय आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** में प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश या **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-08** में नोटिस, के जारी किए जाने से पूर्व किसी भी समय, **प्ररूप**

जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू, में आवेदन दायर करके प्रतिदाय के लिए उक्त आवेदन को वापस ले सकेगा ।

(6) **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में** प्रतिदाय के लिए आवेदन करते समय, यथास्थिति, इलेक्ट्रोनिक उधार खाता या इलेक्ट्रोनिक **नगद खाता से आवेदक द्वारा विकलित कोई रकम प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू** में प्रतिदाय की वापसी के आवेदन को प्रस्तुत करने पर उस खाते में वापस जमा की जाएगी जिससे ऐसा विकलन किया गया था।";

(iii) नियम 92 में,-

(क) उपनियम (1) में परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) में,-

(i) "भाग ख", शब्द और अक्षर के स्थान पर, "भाग क" शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहाँ समुचित अधिकारी या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिदाय इससे अधिक रोके जाने हेतु दायी नहीं है, वहाँ वह **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी किए जाने का आदेश पारित कर सकेगा ।";

(iv) नियम, 96 में,-

(क) नियम 6 में, "भाग ख", शब्द और अक्षर के स्थान पर, "भाग क" शब्द और अक्षर रखा जाएगा ;

(ख) उपनियम (7) में, "**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में आदेश पारित करने के पश्चात्", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07** के भाग-ख में रोके गए प्रतिदाय को जारी करने के लिए किसी आदेश को पारित करने के पश्चात् **प्ररूप जीएसटी आरएफडी-06** में कोई आदेश पारित करने के पश्चात्" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(v) उक्त नियम के प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में, "आरईजी के रद्दकरण के विखंडन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश" उपशीर्ष के अधीन, पहले बुलेट बिंदु में, "आरईजी के रद्दकरण के आदेश की तामील की तारीख से तीस दिन में" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अवधि के भीतर, जो धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन उपबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए," शब्द, अंक और कोष्ठक अंत: स्थापित किए जाएंगे ;

(vi) नियम 138ई में, "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में चाहे वो प्रदायकर्ता हो या प्राप्तिकर्ता हो" शब्दों को "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के द्वारा माल के किसी भी जावक संचलन के संबंध में" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07**
[नियम 92(2) और नियम 96(6) देखें]

तारीख: <दिन/मास/वर्ष>

संदर्भ सं.

सेवा में
......................(जीएसटीआईएन/विशिष्ट पहचान सं./अस्थायी पहचानपत्र)
.....................(नाम)
...............................(पता)
..............................(एआरएन)

भाग-क

प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

उपरोक्त यथाविनिर्दिष्ट एआरएन के संबंध में आयकरदाता को संदेय प्रतिदाय केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (10)/उपधारा (11) के उपबंधों के अनुसार रोका जाता है । रोके जाने के लिए कारण निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	रोकी गई रकम	
6.	रोके जाने के लिए कारण (एक से अधिक कारण का चयन किया सकता है	• वसूलनीय देय, जो संदत्त नहीं किए • धारा 54 की उपधारा (11) को ध्यान में रखते हुए, • गंभीर प्रकृति के कपट(टों) के कारण • अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)
7.	कारणों का वर्णन	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)
8.	व्यक्तिगत सुनवाई का रिकॉर्ड	(पांच सौ अक्षरों तक, विस्तृत कारणों के लिए पृथक फाइल संलग्न की जा सकती है)

भाग-ख

रोके गए प्रतिदाय को जारी करने का आदेश

यह आपके प्रतिदाय आवेदन <एआरएन> दिनांक <दिनांक> के संदर्भ में है, जिसके विरुद्ध आदेश <आरएफ़डी-06 आदेश संख्या > दिनांक <दिनांक > द्वारा स्वीकृत संदेय प्रतिदाय की राशि के भुगतान को इस कार्यालय के आदेश <आदेश संख्या > दिनांक <दिनांक> द्वारा रोक दिया गया था । अब मैने अपनी संतुष्टि में यह पाया है कि प्रतिदाय की रकम को रोके जाने की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं और इसलिए, रोके गए प्रतिदाय कि राशि को निम्नानुसार जारी किए की अनुमति दी जाती है :

क्र. सं.	विशिष्टियां	
1.	एआरएन	
2.	आरएफडी-01 में दावाकृत रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
3.	आरएफडी-06 में अग्राह्य रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
4.	आरएफडी-06 में समायोजित रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
5.	रोकी गई रकम	<ऑटो पोपुलेटेड>
6.	जारी की गई रकम	
7.	संदत्त की जाने वाली रकम	

तारीख :
स्थान :

हस्ताक्षर (डीएससी) :
नाम :
पदनाम :
कार्यालय पता : ”;

(viii) प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01ख के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01डब्ल्यू

[नियम 90(5) देखिए]

प्रतिदाय आवेदन की वापसी हेतु आवेदन

1. एआरएन :
2. माल और सेवा कर पहचान सं. :
3. कारबार का नाम (विधिक) :
4. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
5. कर अवधि :
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :
7. प्रतिदाय दावा वापस लेने के लिए आधार :
    - i प्रतिदाय आवेदन गलती से फाइल किया गया है
    - ii प्रतिदाय आवेदन गलत प्रवर्ग के अधीन फाइल किया गया है
    - iii प्रतिदाय आवेदन में गलत ब्यौरे उल्लिखित हैं
    - iv अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8. मैं/हम (आयकरदाता का नाम) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं और यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

तारीख :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर :

स्थान :

नाम :
पदनाम :
प्रास्थिति : ” ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, अधिसूचना संख्यांक 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 सा.का.नि. संख्यांक 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्यांक 13/2021-केंद्रीय कर, तारीख 1 मई, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 309 (अ), तारीख 1 मई , 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए ।